



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम -मिनीरल कम्पनी)  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़  
जिला - श्रीगंगानगर - 335804 (राज.)  
फोन नं. 01509-220084, 220309

## NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
Website: [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com)

**CENTRAL STATE FARM - SURATGARH**  
**District- Sriganaganagar - 335804 (Raj.)**

PHONES : 01509- 220084, 220309 (Office) Tele-Fax: - 01509- 223877  
e-mail - [csfsofgmkg@gmail.com](mailto:csfsofgmkg@gmail.com)

GST No. 08AABCN8973FZZ3

क्रमांक: सीएसएफ/एसओजी/10-2/विपणन/2018-19- 552  
अल्पकालीन खुली निविदा

दिनांक: 20.12.2018

पंजीकृत कृषि रसायन विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को निम्न कृषि रसायनों की आवश्यकता है। यदि आप भी उपरोक्त कृषि रसायन सप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी दरें मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 28.12.2018 को दोपहर 2.30 बजे तक निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर को प्रेषित करें। जो उसी दिन दोपहर 3.00 बजे समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदा हेतु निर्धारित धरोहर राशि रुपये 20000.00 बैंक ड्रॉप्ट अथवा RTGS के माध्यम से जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ़ खाता नम्बर 34056542572 (IFSC Code No: SBIN0077774) पर देय हो, सलगित करना अनिवार्य है। निविदा सम्बन्धी जानकारी निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर भी देखी जा सकती है।

S.NO.	Name of Agrochemicals	Unit	Required Qty.
1	Ethyl Ester 38% EC (2-4-D)	Ltr.	341.60
2	Metsulfuran Methyl 20% WG	Kg.	3.00

निविदा की नियम व शर्तें :-

1. कीटनाशी रसायन आईएसआई अथवा आईएसओ ब्रण्डेड मार्का होना चाहिए।
2. निविदा में रसायन का नाम, कम्पनी का नाम, आईएसआई, आईएसओ मार्क रसायन है का ब्यौरा लिखना अति आवश्यक है।
3. सभी रसायन की दर प्रति लीटर/किलोग्राम समस्त कर सहित देनी होगी।
4. रसायनों की समस्त आपूर्ति, आपूर्ति आदेश प्राप्ति के तुरन्त पश्चात 3-4 दिन में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के गोदाम पर करनी होगी।
5. रसायनों की जॉच स्वयं फार्म के खर्च पर मान्यता प्राप्त कीटनाशी प्रयोगशाला में भेजकर कराई जायेगी। जांच संतोषजनक पाई जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। यदि रसायन जॉच में अमानक पाया गया तो सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर वापिस उठवाना होगा।
6. अपूर्ण निविदा होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
7. निविदादाता को GST नम्बर की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
8. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी।
9. रसायनों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

प्रभारी(एमएम)  
कृते निदेशक